अनुदान संख्या 97 – वस्त्र मंत्रालय
GRANT No. 97 - MINISTRY OF TEXTILES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3463,76,00				
				3463,79,00	3098,88,49	-364,90,51
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					342,12,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	51,03,00				
				57,19,00	48,08,52	-9,10,48
पूरक	Supplementary	6,16,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					7,80,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	3500.00			
			2955.41	2813.16	-142.25
पु.	R.	-544.59			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	27426.00			
पू.	S.	1.00	1.67	..	-1.67
पु.	R.	-27425.33			
मुख्य शीर्ष "2851"	Major Head "2851"				
ग्राम और लघु उद्योग	Village and Small Industries				
मू.	O.	167121.00			
			127159.90	125370.14	-1789.76
पु.	R.	-39961.10			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	148329.00			
पू.	S.	2.00	182050.02	181705.19	-344.83
पु.	R.	-33719.02			

(I) ₹36627.80 लाख का प्रावधान (सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1.80 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सत्तरह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹35826.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹36627.80 lakhs (including token supplementary grants of ₹1.80 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021) remained wholly unutilized under seventeen heads; of these ₹35826.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(A) Major Head "2552" -

(क) "ग्राम और लघु उद्योग – हथकरघा उद्योग – राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय क्षेत्र)"– ₹800.00 लाख;

(a) "Village and Small Industries - Handloom Industries-National Handloom Development Programme (Center Sector)" - ₹800.00 lakhs;

(ख) "ग्राम और लघु उद्योग – हस्तशिल्प उद्योग – राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹1400.00 लाख;

(ग) "ग्राम और लघु उद्योग – रेशम उत्पादन उद्योग – रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान" – ₹3100.00 लाख;

(घ) "उपभोक्ता उद्योग – वस्त्र" –

(i) "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹1266.00 लाख;

(ii) "पूर्वोत्तर में वस्त्रों का विकास" – ₹9105.00 लाख; और

(ङ) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – जूट पर प्रौद्योगिकी मिशन – मिनी मिशन – II" – ₹9955.00 लाख।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(च) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना– अनुसूचित जातियों के विकास के लिए स्कीम" – ₹1500.00 लाख;

(खा) मुख्य शीर्ष "2851" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना– पावरलूम संवर्धन स्कीम" – ₹4000.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(b) "Village and Small Industries - Handicraft Industries - National Handicraft Development Programme" - ₹1400.00 lakhs;

(c) "Village and Small Industries - Sericulture Industries - Grants towards Development of Silk Industry" - ₹3100.00 lakhs;

(d) "Consumer Industries - Textiles" -

(i) "National Institute of Fashion Technology" - ₹1266.00 lakhs;

(ii) "Development of Textiles in North East" - ₹9105.00 lakhs; and

(e) "Tribal Area Sub-Plan - Technology Mission on Jute - Mini Mission-II" - ₹9955.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained wholly unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(f) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Scheme for the Development of Scheduled Castes" - ₹1500.00 lakhs;

(B) Major Head "2851" -

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Powerloom Promotion Scheme" - ₹4000.00 lakhs.

Provision under the above two heads remained wholly unutilized due to non-receipt of proposals.

(ख) "रेशम उत्पादन उद्योग – रेशमी वस्त्रों का विकास"– ₹1000.00 लाख – परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹1500.00 लाख;

(ख) "भारतीय पटसन निगम संबंधित समर्थन मूल्य के लिए सब्सिडी" – ₹700.00 लाख; और

(ग) "जूट क्षेत्र के विकास के लिए स्कीम" – ₹1500.00 लाख;

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – वस्त्र मंत्रालय" – ₹686.84 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2851" – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "हथकरघा उद्योग" –

(क) "राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केन्द्र सेक्टर)" के अंतर्गत ₹5928.41 लाख की बचत (₹22186.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं/प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और उपयोग प्रमाण–पत्रों को अंतिम रुप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "बुनकर सेवा केन्द्र" – ₹978.70 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(b) "Sericulture Industries - Development of Silk Textiles" - ₹1000.00 lakhs - due to non-finalization of Projects.

(C) Major Head "2852" - "Consumer Industries-Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "National Institute of Fashion Technology" - ₹1500.00 lakhs;

(b) "Subsidy to Jute Corporation of India towards Price Support" - ₹700.00 lakhs; and

(c) "Scheme for Development of Jute Sector (NJB)" - ₹1500.00 lakhs.

Savings under the above three heads were due to non-receipt of proposals.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Textiles" - saving of ₹686.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(III) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Handloom Industries" -

(a) "National Handloom Development Programme (Center Sector)" - saving of ₹5928.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22186.00 lakhs) was due to non-finalization of projects/proposals and pending utilization certificates.

(b) "Weavers Service Centre" - saving of ₹978.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs);

(खा) "हस्तशिल्प उद्योग" –

(क) "प्रशिक्षण और विस्तार" – ₹626.81 लाख की बचत (₹1950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) "विपणन और सेवा विस्तार" – ₹592.32 लाख की बचत (₹2450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ग) "भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹528.00 लाख की बचत (₹980.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत परियोजनाओं / प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(घ) "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹5079.97 लाख की बचत (₹21151.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) "रेशम उत्पादन उद्योग – केन्द्रीय रेशम बोर्ड" – ₹8175.00 लाख की बचत (₹54600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और उपयोग प्रमाण–पत्रों के लंबित होने के कारण हुईं।

(घा) "पावरलूम उद्योग – पावरलूम संवर्धन स्कीम" – ₹4566.60 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं / प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ङ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केन्द्र क्षेत्र)" – ₹4180.25 लाख की बचत (₹6414.00 लाख के

(B) "Handicraft Industries" -

(a) "Training and Extension" - saving of ₹626.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1950.00 lakhs);

(b) "Marketing and Service Extension" - saving of ₹592.32 lakhs (against the sanctioned of ₹2450.00 lakhs); and

(c) "Indian Institute of Carpet Technology" - saving of ₹528.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹980.00 lakhs)

Savings under the above four heads were due to non-finalization of projects/proposals.

(d) "National Handicraft Development Programme" - saving of ₹5079.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21151.00 lakhs); and

(C) "Sericulture Industries - Central Silk Board" - saving of ₹8175.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54600.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals and pending utilization certificates.

(D) "Powerloom Industries - Powerloom Promotion Scheme" - saving of ₹4566.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to non-finalization of project/proposals.

(E) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "National Handloom Development Programme (Center Sector)" - saving of

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) “राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम” – ₹3101.17 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) “रेशम वस्त्रों का विकास” – ₹1875.00 लाख की बचत (₹13500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(चा) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केन्द्र क्षेत्र)” – ₹1206.23 लाख की बचत (₹4700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष “2852” – “उपभोक्ता उद्योग” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) “वस्त्र” –

(क) “वस्त्र समिति को सहायता” – ₹1445.00 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) “वस्त्र अवसंरचना और मेगा कलस्टर” – ₹1037.83 लाख की बचत (₹14300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत परियोजनाओं/प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और उपयोग प्रमाण–पत्रों के लंबित होने के कारण हुईं।

(ग) “संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम” – ₹20551.86 लाख की बचत (₹76190.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दावों की प्राप्ति नहीं

₹4180.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6414.00 lakhs);

(b) “National Handicraft Development Programme” - saving of ₹3101.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs);

(c) “Development of Silk Textiles” - saving of ₹1875.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13500.00 lakhs); and

(F) “Tribal Area Sub-Plan” - “National Handloom Development Programme (Center Sector)” - saving of ₹1206.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4700.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to receipt of less proposals.

(IV) Under Major Head “2852” - “Consumer Industries” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Textiles” -

(a) “Assistance to Textile Committee” - saving of ₹1445.00 lakhs (againt the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs); and

(b) “Textile Infrastructure and Mega Clusters” - saving of ₹1037.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14300.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalization of project/proposals and pending utilization certificates.

(c) “Amended Technology Upgradation Fund Scheme” - saving of ₹20551.86 lakhs (againt the sanctioned provision of

होने और कोविड–19 महामारी की वजह से प्रस्तावों के अंतिम रूप दिए जाने में देर होने के कारण हुई।

(घ) “अनुसंधान और विकास तथा संस्थागत विकास” – ₹10090.62 लाख की बचत (₹16701.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) “अन्य – जूट” – ₹4368.50 लाख की बचत (₹12553.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत परियोजनाओं/प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1207.34 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप (₹66271.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2852” – “उपभोक्ता उद्योग – वस्त्र – समर्थन मूल्य के अंतर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद” के अंतर्गत सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि वास्तविक अधिक व्यय, ₹66269.00 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) मुख्य शीर्ष “2851” – “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – रेशम उद्योग के विकास से संबंधित अनुदान” – ₹1350.00 लाख का अधिक व्यय (₹5600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) मुख्य शीर्ष “2852” – “उपभोक्ता उद्योग – वस्त्र”–

₹76190.00 lakhs) was due to non-receipt of claims and late finalization of proposals owing to COVID-19 pandemic.

(d) “Research and Development and Institutional Development” - saving of ₹10090.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16701.00 lakhs); and

(B) “Others - Jute” - saving of ₹4368.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12553.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalization of project/proposals.

(V) Under four heads saving of ₹1207.34 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 14 percent to 42 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹66271.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹2.00 lakhs in September, 2020 and February, 2021 under Major Head “2852” - “Consumer Industries - Textiles - Procurement of Cotton by Cotton Corporation of India under Price Support”. Actual excess, however, was ₹66269.00 lakhs.

(II) Saving were also offset by excess under the following heads:-

(A) Major Head “2851” - “Tribal Area Sub - Plan - Grants towards Development of Silk Industry”- excess of ₹1350.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5600.00 lakhs);

(B) Major Head “2852” - “Consumer Industries - Textiles” -

(क) "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹936.00 लाख का अधिक व्यय (₹8234.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(a) "National Institute of Fashion Technology"- excess of ₹936.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8234.00 lakhs); and

(ख) "पूर्वोत्तर में वस्त्रों का विकास" – ₹7920.55 लाख का अधिक व्यय (₹7920.93 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(b) "Development of Textiles in North East" - excess of ₹7920.55 lakhs (against the sanctioned provison of ₹7920.93 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads were due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹384.76 लाख का अधिक व्यय हुआ और जो स्वीकृत प्रावधान का 192 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹384.76 lakhs occurred and constituted 192 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹910.48 लाख) फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹616.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹910.48 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹616.00 lakhs obtained in February, 2021 and constituted 16 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

Saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4851"	Major Head "4851"				
ग्राम और लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	5100.00			
पू.	S.	616.00	4936.00	4808.52	-127.48
पु.	R.	-780.00			

(I) ₹3.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "हस्तशिल्प उद्योग – अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास परियोजना" – ₹780.44 लाख की बचत (₹3600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हस्तशिल्प भवन परियोजना के पूरा न होने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.

(II) Under "Handicraft Industry - Infrastructure and Technology Development Projects" - saving of ₹780.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3600.00 lakhs) was due to non-completion of Handicraft Bhawan Project.